

फर्द अहकाम

अज अदालत अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

यूनाराम

बनाम

भंवरा वगैर

किस्म मुकदमा-राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज.भू-राजस्व अधि० 1956 सं० 328/2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>महोदय,</p> <p>अपीलांट की ओर से यह अपील वकील श्री गुरनामसिंह ने राज० भू राजस्व अधि० की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी चौहटन (बाडमेर) द्वारा अन्तर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व आवेदन संख्या 05/2025 में पारित आदेश दिनांक 10.06.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।</p> <ol style="list-style-type: none">1. प्रस्तुत अपील इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।2. प्रस्तुत अपील पर न्याय शुल्क पूर्ण है।3. अपील के साथ रेस्प० के सम्मन निर्धारित कोर्ट फीस के प्रस्तुत किये गये हैं।4. प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है।5. अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय श०प० प्रस्तुत है।6. अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र मय श०प० प्रस्तुत है।7. प्रकरण में केवियटर अधिवक्ता श्री रोशनलाल द्वारा प्रार्थी-रेस्प०सं० 1-भंवरा की ओर से केवियट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। इन्हें अपील मीमो व संलग्न प्रार्थना पत्रों की प्रति प्राप्त करने हेतु सूचित किया गया। <p>आदेशार्थ प्रस्तुत है।</p> <p>अति० संभागीय आयुक्त महोदय</p> <p><i>Heard both the parties Counsels today. Both agreed for remand to lower court. Therefore, this appeal is remanded to LC with clear instructions to hear all concerned parties and keep decide within 2 months all</i></p>	



11/5/26



facts presented by both sides. Also keep in mind the earlier partition between the parties also. File be returned to LC, till then judgement dt. 10/6/25 is set aside dec

12/5/26.

अतिरिक्त सम्पादक
जोधपुर